संख्या —— /XXXVI(1)/2013–06 चार डी0/2010

प्रेषक,

डी0 पी0 गैरोला,
प्रमुख सचिव एवं विधि परामर्शी,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
पौड़ी गढवाल।

न्याय अनुभाग–1 देहरादून : दिनांक 25 फरवरी, 2013

विषय : जनपद पौड़ी गढवाल में जिला शासकीय अधिवक्ता (राजस्व), के रिक्त पद पर आबद्धता हेतु नया पैनल उपलब्ध कराया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या–803/20–जे0ए0(2010–11) दिनांक 30–01–2013 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2– उक्त के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जिला पौड़ी गढवाल में आबद्ध जिला शासकीय अधिवक्ता (राजस्व), श्री बेणु राकेश कुमार की मृत्यु होने के कारण उक्त पद रिक्त हो चुका है। तत्क्रम में सम्यक विचारोपरान्त शासन ने उक्त पद हेतु नया पैनल मंगाये जाने का निर्णय लिया गया है। अतः जिला शासकीय अधिवक्ता (राजस्व) के पद पर पुनः आबद्धता हेतु विधि परामर्शी निदेशिका के प्रस्तर–7.03 में उल्लिखित व्यवस्थानुसार पैनल भेजा जाना है:–

"**प्रस्तर–7.03** : जब कभी किसी जिले में जिला सरकारी अभिवक्ता का पद तीन माह के भीतर रिक्त होने वाला हो या कोई नया पद सृजित हुआ हो, सम्बन्धित जिला अधिकारी विधिज्ञ वर्ग संस्था (बार) के सदस्यों को रिक्ति के बारें में सूचित करेगा। विचार किये जाने के योग्य वे सदस्य होंगे, जिन्होंने जिला सरकारी अभिवक्ता की दशा 10 वर्षो तक विधि व्यवसाय किया हो, सहायक जिला सरकारी अधिवक्ता की दशा में 7 वर्षो तक और अधीनस्थ जिला सरकारी अधिवक्ता की दशा में 5 वर्षो तक विधि व्यवसाय किया हो। जिलाधिकारी ऐसे सदस्यों से अपेक्षा करेगा, जो किसी विशेष पद पर नियुक्ति हेतु अपने नाम पर विचार कराना चाहते हों, कि वे उसे अपने नाम, और ऐसे विवरण दें, जैसे आयु, विधिज्ञ वर्ग संस्था (बार) में किये गये विधि व्यवसाय की अवधि, हिन्दी में प्राप्त योग्यतायें, पिछले तीन वर्षो में विधि व्यवसाय की आय पर उनके द्वारा अदा किये गये आयकर की धनराशि और यदि आयकर न लगाया गया हो, तो उनके द्वारा भेजी गयी आयकर विवरणी, यदि कोई हो, दो वर्षो की कार्यवाही के दौरान उनके द्वारा किये गये कार्य का न्यायालय द्वारा यथाविधि सत्यापित ब्योरा और यह सूचना कि क्या उन्होंने आपराधिक, सिविल और राजस्व सम्बन्धी विधि कार्य किया है।

(2) समीप के जिलों के जिला सरकारी अभिवक्ता और विधि व्यवसायी भी जिला सरकारी अभिवक्ता के पद के लिए अपने जिलाधिकारियों के माध्यम से उपरोक्त विवरण भेज सकते हैं, जो उन्हें उस जिले के जिला अधिकारी को अपनी ऐसी अभ्युक्ति सहित, जो वे उपयुक्त समझें, भेज देंगे, जिसमें नियुक्ति की जानी हो।

क्रमश.....2

(3) इस प्रकार प्राप्त नामों पर जिला अधिकारी जिला न्यायाधीश से परामर्श करके विचार करेगा। जिला अधिकारी वर्तमान पदाधिकारियों (अतिरिक्त, सहायक जिला सरकारी अधिवक्ता) यदि कोई हो, के दावों पर उचित रूप से विचार करेगा और गोपनीय रूप से वरीयता के क्रम में प्रत्येक पद के लिए पद के लिए तीन विधि व्यवसायियों के नाम विधि परामर्शी को भेजेगा और इसके साथ ही विशेष रूप से प्रत्येक अभ्यर्थी के चरित्र, व्यावसायिक आचरण तथा सत्यनिष्ठता के विषय में अपनी राय तथा प्रत्येक अभ्यर्थी की उपयुक्तता और गुणावगुण के विषय में जिला न्यायाधीश की राय भी भेजेगा। जिला अधिकारी विधि परामर्शी को अपनी सिफारिशें भेजते समय अन्य अभ्यर्थियों द्वारा दिये गये विवरण (बायोडाटा) तथा अपने और जिला न्यायाधीश द्वारा की गई ऐसी टीकाओं को भेजेगा, जो वह उचित समझें। सिफारिशे करते समय अभ्यर्थी की, यथास्थिति, सिविल, आपराधिक या राजस्व विधि की और हिन्दी की प्रवीणता पर विशेष रूप से ध्यान दिया जायेगा।"

अतः उक्त रिक्त पद के लिए विधि परामर्शी निर्देशिका के उक्त प्रस्तर में उल्लिखित व्यवस्थानुसार तीन विधि व्यवसायियों का पैनल जिला न्यायाधीश, पौड़ी गढवाल के अभिमत के साथ शासन को तत्काल उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(डी0 पी0 गैरोला)
प्रमुख सचिव

संख्याः2-पार-डी/XXXVI(1)/2013–06 चार डी0/2010 तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड।
2– जिला न्यायाधीश, पौड़ी गढवाल।
3– वरिष्ठ कोषाधिकारी, पौड़ी गढवाल। ।
4– एन.आई.सी./गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(धर्मेन्द्र सिंह अधिकारी)
संयुक्त सचिव